

कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
पत्रांक:-ई-2/03/डीएसीसी/एपीएआर/16/2019/ग्रेड-1/वॉल्यूम-1/ 1527 | दिनांक: 14-06-2024

कार्यालय आदेश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने IA&AD में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के एपीएआर में स्व-मूल्यांकन(Self appraisal) करने की समय सीमा, एपीएआर रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा रिव्यू अधिकारी को प्रस्तुत करने की समय सीमा में विस्तार किया है।

संभागीय लेखाकार संवर्ग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्ष 2023-24 के एपीएआर में स्व-मूल्यांकन(Self appraisal) समय से कर रिपोर्टिंग अधिकारी को प्रस्तुत करें।

संलग्नक:- मुख्यालय का पत्र।


Signed by Abhishek Kumar

Date: 14-06-2024 16:34:15

उपमहालेखाकार/डी०ए०सी०सी०

पत्रांक:-ई-2/03/डीएसीसी/एपीएआर/16/2019/ग्रेड-1/वॉल्यूम-1/ 1527, 1528, 15285 | दिनांक: 14-06-2024
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबन्धित अधिशासी अभियन्ता (रिपोर्टिंग अधिकारी) को इस कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से प्रेषित।
2. अधिकारियों/कर्मचारियों को इस कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से प्रेषित।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय आदेश को इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


सी०ए०/ डी०ए०सी०सी०